भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1013
दिनांक 25 जुलाई, 2025 को उत्तर के लिए

टेक होम राशन की गुणवत्ता

1013. **श्री राजा राम सिंह:**

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मंत्रालय को समेकित बाल विकास योजना (आईसीडीएस) के अंतर्गत आपूर्ति किए जाने वाले टेक होम राशन (टीएचआर) की खराब गुणवत्ता के संबंध में लगातार मिल रही शिकायतों की जानकारी है, जिसके कारण महाराष्ट्र में आंगनवाड़ी सेविकाओं द्वारा लाभार्थियों से बार-बार संपर्क किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या कई सेविकाओं द्वारा एक साथ प्रणाली तक पहुंच बनाने में असमर्थता, दूरदराज, जंगली और पहाड़ी क्षेत्रों में विश्वसनीय मोबाइल नेटवर्क कवरेज का अभाव और सरकार द्वारा जारी सिम कार्डों के काम न करने के कारण टीएचआर वितरण में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए हाल ही में शुरू की गई फेस रीडिंग प्रणाली (एफआरएस) परिचालन विफलताओं का सामना कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या मंत्रालय का विचार इन महत्वपूर्ण अवसंरचना और वितरण चुनौतियों के समाधान होने तक एफआरएस के कार्यान्वयन को स्थगित /समीक्षा करने का है; और
(घ) यदि नहीं, तो ऐसी प्रणाली को जारी रखने का क्या औचित्य है जो अंतिम छोर तक डिलीवरी में बाधा डालती है और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं पर बोझ डालती है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 एक केन्द्र प्रायोजित योजना है और इस योजना का कार्यान्वयन राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के दायरे में आता है। मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों

को पूरक पोषण-टीएचआर और गर्म पके हुए भोजन (एचसीएम) की गुणवत्ता सुनिश्चित करनी चाहिए। पूरक पोषण को खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 और इसके अंतर्गत बनाए गए विनियमों के तहत निर्धारित मानकों के अनुरूप होना चाहिए ताकि प्रत्येक आहर में गुणवत्ता और पोषक तत्व सुनिश्चित किए जा सकें । गुणवत्ता परीक्षण भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के स्वामित्व वाली या उसके द्वारा अधिकृत प्रयोगशालाओं के माध्यम से किया जाएगा। राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश समय-समय पर जांच करेंगे और सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण (2.0) के 12 सितंबर, 2022 के नियम, 2022 के अनुसार एफएसएसएआई के स्वामित्व वाली/पंजीकृत/पैनल में शामिल/मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं के माध्यम से पूरक पोषण का परीक्षण करवाएंगे। जिला कलक्टर/जिला मजिस्ट्रेट के अधीन जिला पोषण समिति यादृच्छिक रूप से चयनित आंगनवाड़ी केंद्र में टीएचआर का समय-समय पर परीक्षण सुनिश्चित करेगी। भारत सरकार इस योजना और इसके घटकों की निरंतर निगरानी एवं समीक्षा करती है तथा प्राप्त अनुभवों, और सुझावों के आधार परक विविध स्तरों पर विभिन्न हितधारकों के साथ निरंतर बातचीत, वीडियो कॉन्फ्रेंस, बैठकों के माध्यम से समय-समय पर उचित कार्रवाई करती है।

(ख) से (घ) पोषण प्रदायगी की अंतिम छोर तक ट्रैकिंग के उद्देश्य से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने टेक होम राशन के वितरण हेतु फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम (एफआरएस) तैयार किया है ताकि इसका लाभ पोषण ट्रैकर में पंजीकृत इच्छित लाभार्थियों को ही मिल सके। क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं की जवाबदेही को और बढ़ाने तथा पात्र लाभार्थियों को अपनी उचित हकदारी प्राप्त करने में सशक्त बनाने के उद्देश्य से एफआरएस लागू किया गया है। इसमें पंजीकरण के दौरान लाभार्थियों की फोटो लेना और ई-केवाईसी और फिर टीएचआर वितरण के दौरान फोटो मिलान के लिए पुनः फोटो लेना शामिल है। दिनांक 1 जुलाई, 2025 से टीएचआर के वितरण के लिए एफआरएस अनिवार्य कर दिया गया है। ई-केवाईसी पूरा करने के लिए मोबाइल नेटवर्क की आवश्यकता होती है, जो केवल एक बार करना होता है। इसके बाद चेहरे का मिलान ऑफलाइन मोड में भी किया जा सकता है।

पोषण ट्रैकर के लाभार्थी मॉड्यूल में एफआरएस सुविधा भी उपलब्ध है, जहाँ लाभार्थी स्वयं अपनी तस्वीर खींचकर घर/किसी भी स्थान से लाभार्थी मॉड्यूल के माध्यम से आधार प्रणाली पर आधारित ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर सकता है। 20 जुलाई, 2025 तक, टेक होम राशन के लिए पंजीकृत 69% लाभार्थियों का एफआरएस के अंतर्गत चेहरा कैप्चर करने की प्रक्रिया और ई-केवाईसी पूरा हो चुका है।

****